

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 11.10.2020**

### **शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल – 34 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।**

### **अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-**

#### **01. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. संतकुमार पुत्र मेवालाल नि० चंगनहवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 255 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

#### **02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. सूरज सोनकर पुत्र राम प्रताप सोनकर नि० डुमरियाडीह थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 308 / 20, 02. झिंडी राम पुत्र बावनराम नि० बेनिया अफजलपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 309 / 20, धारा 60.60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

#### **03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. श्याम नरायन पुत्र आशाराम नि० परसापुर खालेपुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 426 / 20, 02. शिवनरायन पुत्र रामफेर नि० परसापुर गड़ेरियन पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 427 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

#### **04. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. रामप्रीत पुत्र हीरा सोनकर नि० मरीकबन मौजा सीहागँव थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 257 / 20, 02. कलऊ पुत्री हीरा सोनकर नि० मरीकबन मौजा सीहागँव थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 258 / 20, धारा 60.60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

## **05. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. श्रीमती केवला देवी पत्नी स्व० रामबचन सोनकर नि० सुकरौलिया मौजा त्रिलोकपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 314 / 20, धारा 60.60(2) भादवि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

## **जालसाजी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोण्डा । रविवार जनपद गोण्डा के थाना को०नगर पुलिस ने जालसाजी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों- 01. रामवृक्ष शर्मा, 02. पूरन चन्द्र शर्मा पुत्रगण पुजारी शर्मा नि० बगाई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को थाना को०नगर पर पंजीकृत मु०अ०सं० – 531 / 20, धारा 419.420.467.468.471.352.504 भादवि० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्तों ने वादिनी श्रीमती आरती पत्नी राम सुरेश नि० परेड सरकार थाना को०नगर जनपद गोण्डा की जमीन को फर्जी व कूटरचित ढंग से बैनामा करा लिया था । जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना को०नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें को०नगर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्तगणों को रोडवेज बस स्टॉप के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया ।

## **अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. राजाबाबू पुत्र सिराज नि० वार्ड नं०-05 कस्बा व थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।

### **पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०- 258 / 20, धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।

### **बरामदगी-**

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

### **संक्षिप्त विवरण-**

आज दिनांक 11.10.2020 को थाना कटराबाजार के उ०नि० कर्मवीर सिंह मय पुलिस टीम के रात्रि गश्त, क्षेत्र भ्रमण में खाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को पाठकपुरवा तिराहा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया । अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया ।

### **गिरफ्तारकर्ता टीम-**

01. उ०नि० कर्मवीर सिंह ।

02. का० रामप्रकाश सिंह ।

## **126 शीशी अवैध देशी शराब व 01 अदद होण्डा कार के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार-**

### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. राहुल सिंह पुत्र स्व0 रणवीर सिंह नि0 चोरे बाजार थाना बीकापुर जनपद अयोध्या ।
02. धीरेन्द्र पुत्र सौरभ सिंह नि0 सोहनपुरवा मौजा उमरी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ।

### **पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0- 225 / 20, धारा 60.72 आबकारी अधिनियम थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ।

### **बरामदगी –**

01. 126 शीशी अवैध देशी शराब ।
02. 01 अदद होण्डा कार ।

### **संक्षिप्त विवरण-**

जनपद गोण्डा मे अपराध एवं अपराधियों व अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को निर्देशित किया था ।

आज दिनांक 11.10.2020 को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस चेकिंग संदिग्ध / क्षेत्र भ्रमण मे रवाना थी कि एक संदिग्ध वाहन दिखाई देने पर रोक टोक कर चेक किया गया दौरान तलाशी उनके कब्जे से 126 शीशी अवैध देशी शराब व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद होण्डा कार की बरामदगी की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज पर आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।